सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 277/2022

वादपत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

1. सुभाष चन्द्र पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई साकिन मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. हनुमान पुत्र रतीराम जाति बिश्नोई साकिन मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. प्रवीण कुमार पुत्र भूप सिंह
2. पवन कुमार पुत्र भूप सिंह
3. विमला देवी पत्नी मनोहर लाल

जाति समस्त बिश्नोई साकिन मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

4. उप स्वास्थ्य केन्द्र चक 9,10 के.एस.डी. संस्था के लिए जरिये संरपच ग्राम पचांयत मालारामपुरा
5. स्टेट बैंक ऑफ इडिया शाखा संगरिया
6. स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा सादुलशहर
7. बैंक ऑफ बडौदा शाखा संगरिया
8. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री नवरत्न स्वामी–वकील वादीगण
2. श्री जसवीर सिंह वर्मा –वकील प्रति.सं. 1 ता 3
3. राज पैरोकार प्रतिवादी सं. 8

निर्णय दिनांक :–

वादीगण सुभाषचन्द्र वगैरा ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत खाता विभाजन के तहत दिनांक 06.06.2022 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण चक नं. 10 के.एस.डी. संयुक्त खाता सं. 102/77 के खातेदार काश्तकार है जिसमें वादी नं. 1 कुल खाता 4.301 में से 5/17 हिस्सा यानि 1.265 है. व वादी नं. 2 2/17 हिस्सा यानि 0.506 है. के खातेदार काश्तकार है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का अर्सा दराज पूर्व घरू तौर पर बंटवारा हो चुका था। मुताबिक घरू बंटवारा के वादीगण के हिस्सा में निम्न प्रकार से कृषि भूमि हिस्सा में आई है :–

वादी नं. 1 सुभाष चन्द्र की कब्जा काश्त चक नं. 10 के.एस.डी. खाता सं. 102/77

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
133 / 114	55	16–17–24–25 / 1.012 है.
134 / 114	56	21 / 0.253 है.

कुल 1.265 है. नहरी कृषि भूमि।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी नं. 2 हनुमान की कब्जा काश्त चक नं. 10 के.एस.डी. खाता सं. 102 / 77

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
134 / 114	56	20 / 0.253 है.
135 / 114	57	22 / 0.253 है.

कुल 0.506 है. नहरी कृषि भूमि।

वादीगण ने घरू बंटवारा मुताबिक अपने अपने हिस्सा में आई कृषि भूमि पर काफी श्रम कर व पैसे खर्च कर भूमि सुधार किया है व उसे काश्त योग्य बनाया है इसलिए वादीगण अपना अपना खाता तकसीम करवाकर रकमराज अलग से कायम करवाने के मुस्तहक एवं दावेदार है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि घरू बंटवारा मुताबिक हिस्सा में आई कब्जा काश्त कृषि भूमि का खाता तकसीम करवा लेवे किन्तु प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे लेकिन गत् सप्ताह ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र पेश कर प्रतिवादीगण को जरिये रजि0 सम्मन तलब करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 की ओर से जरिये अभिभाषक जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 5 की ओर से जरिये अभिभाषक मीमो ऑफ अपीयरेन्स पेश हुआ। प्रतिवादीगण सं. 4,6,7 को बार–बार आवाजे लगाई गई, इसके बावजूद न्यायालय में हाजिर नही आने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 5 की ओर से जवाबदावा पेश कर बैक हित को मध्यनजर रखने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी सं. 8 जवाब स्टेट पेश हुआ जिसमें राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की गई। वादपत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा साक्ष्य के तौर पर जमाबन्दी चक नं. 10 के.एस.डी. खाता सं. 102 / 77 जं.सं. 2070–73 की छायाप्रति पेश की। जमाबन्दी दस्तावेज EX-1 प्रदर्श हुए। साक्ष्य वादी में वादी सुभाष चन्द्र ने प्रार्थना पत्र आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। वादी अभिभाषक जवाब उल जवाब पेश नही करना चाहते है इसलिए जबाव उल जवाब बन्द किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

उभयपक्ष बहस सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुए वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का गहराई से अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत की गई जमाबन्दीयों का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी चक नं. 10 के.एस.डी. खाता सं. 102 / 77 जं.सं. 2070–73 में वादीगण का नाम अंकित है। वकील वादीगण द्वारा वादपत्र में खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है लेकिन प्रश्नगत भूमि सांझा खाता की है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 की ओर से जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश हुआ। वादीगण का वादपत्र में वर्णित आराजी पर जन्म से हक निहित है। वादपत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष

नही आया है। वादीगण का वादपत्र मय काउण्टर क्लेम प्रतिवादी सं. 1 ता 3 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। न्यायालय के मत में वादीगण का वादपत्र मय काउण्टर क्लेम प्रतिवादी सं. 1 ता 3 स्वीकार किये जाने योग्य है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः वादीगण का वादपत्र मय काउण्टर क्लेम प्रतिवादी सं. 1 ता 3 स्वीकार किया जाकर डिक्री के आदेश दिये जाते है :—

वादी नं. 1 सुभाष चन्द्र की कब्जा काश्त चक नं. 10 के.एस.डी. खाता सं. 102/77

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
133/114	55	16—17—24—25/1.012 है.
134/114	56	21/0.253 है.

कुल 1.265 है. नहरी कृषि भूमि।

वादी नं. 2 हनुमान की कब्जा काश्त चक नं. 10 के.एस.डी. खाता सं. 102/77

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
134/114	56	20/0.253 है.
135/114	57	22/0.253 है.

कुल 0.506 है. नहरी कृषि भूमि।

प्रतिवादी सं. 1 प्रवीण कुमार व प्रतिवादी सं. 2 पवन कुमार के ब.हि.ब. कब्जा काश्त कृषि भूमि :— चक नं. 10 के.एस.डी. खाता सं. 102/77

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
133/114	55	5/1/0.076, 6,7,14,15/0.253 है.प्र.
135/114	57	12,19/0.253 है.प्र.
135/115	62	1/1/0.173, 1/2/0.029 रास्ता, 2/1/0.215 2/2/0.038 है. रास्ता

कुल 2.049 है. मय गै.मु. नहरी कृषि भमि।

प्रतिवादी सं. 3 विमला देवी पत्नी मनोहर लाल के कब्जा काश्त कृषि भूमि :—
चक नं. 10 के.एस.डी. खाता सं. 102/77

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
133/114	55	4/0.253, 5/0.177 है.

कुल 0.430 है. नहरी कृषि भूमि।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 को खातेदार काश्तकार घोषित कियाा जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे।

नोट :—यदि डिक्रीत वादी /प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक हक—हिस्सा किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22/03/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 277/2022

1. सुभाष चन्द्र पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई साकिन मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. हनुमान पुत्र रतीराम जाति बिश्नोई साकिन मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. प्रवीण कुमार पुत्र भूप सिंह
2. पवन कुमार पुत्र भूप सिंह

} जाति समस्त बिश्नोई साकिन मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

3. विमला देवी पत्नी मनोहर लाल
4. उप स्वास्थ्य केन्द्र चक 9,10 के.एस.डी. संस्था के लिए जरिये संरपच ग्राम पचांयत मालारामपुरा
5. स्टेट बैंक ऑफ इडिया शाखा संगरिया
6. स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा सादुलशहर
7. बैंक ऑफ बडौदा शाखा संगरिया
8. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

दिनांक :–

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी वकील वादी मिन जामिन मुदई व श्री जसवीर सिंह वर्मा वकील प्रतिवादीगण जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वादपत्र मय काउण्टर क्लेम प्रतिवादी सं. 1 ता 3 स्वीकार किया जाकर डिक्री के आदेश दिये जाते है :–

वादी नं. 1 सुभाष चन्द्र की कब्जा काश्त चक नं. 10 के.एस.डी. खाता सं. 102/77

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
133/114	55	16–17–24–25/1.012 है.
134/114	56	21/0.253 है.

कुल 1.265 है. नहरी कृषि भूमि।

वादी नं. 2 हनुमान की कब्जा काश्त चक नं. 10 के.एस.डी. खाता सं. 102/77

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
134 / 114	56	20 / 0.253 है.
135 / 114	57	22 / 0.253 है.

कुल 0.506 है. नहरी कृषि भूमि।

प्रतिवादी सं. 1 प्रवीण कुमार व प्रतिवादी सं. 2 पवन कुमार के ब.हि.ब. कब्जा काश्त कृषि भूमि :– चक नं. 10 के.एस.डी. खाता सं. 102 / 77

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
133 / 114	55	5 / 1 / 0.076, 6,7,14,15 / 0.253 है.प्र.
135 / 114	57	12,19 / 0.253 है.प्र.
135 / 115	62	1 / 1 / 0.173, 1 / 2 / 0.029 रास्ता, 2 / 1 / 0.215 2 / 2 / 0.038 है. रास्ता

कुल 2.049 है. मय गै.मु. नहरी कृषि भमि।

प्रतिवादी सं. 3 विमला देवी पत्नी मनोहर लाल के कब्जा काश्त कृषि भूमि :–
चक नं. 10 के.एस.डी. खाता सं. 102 / 77

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
133 / 114	55	4 / 0.253, 5 / 0.177 है.

कुल 0.430 है. नहरी कृषि भूमि।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 को खातेदार काश्तकार घोषित कियाा जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे।

नोट :–यदि डिक्रीत वादी /प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक हक–हिस्सा किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22 / 03 / 2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official